## मध्यप्रदेश शासन वाणिज्यिक कर विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

कमांकः एफ बी-7(बी)-37/2013/2/पांच भोपाल, दिनांक 🎾 अगस्त, 2013

प्रति.

समस्त कलेक्टर मध्यप्रदेश ।

विषय:- पंजीयन विभाग से संबंधित सिटीजन चार्टर में संशोधन । संदर्भ:- इस विभाग का पत्र कमांक 4268/97/वा.कर/पांच, दिनांक 22.10.1997।

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा जारी किये गए पंजीयन विभाग से संबंधित सिटीजन चार्टर में आंशिक संशोधन करते हुए पंजीयन हेतु प्रस्तुत दस्तावेज के भारतीय स्टाग्प अधिनियम, 1899 सहपठित मध्यप्रदेश स्टाम्प नियम, 1942 तथा रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 सहपिठत मध्यप्रदेश रजिस्ट्रीकरण नियम, 1939 में विहित प्रावधानों के अनुरूप होने पर दस्तावेज को पंजीयन उपरांत उनके प्रस्तुतीकरण दिनांक को ही पक्षकार को वापस लौटाने की समय-सीमा नियत की जाती है।

> ऋजों दें (ए.पी. श्रीवास्तव) प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन वाणिज्यिक कर विभाग भोपाल, दिनांक 1, अगस्त, 2013

कमांकः एफ वी-7(बी)-37/2013/2/पांच, प्रतिलिपि:-

विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, वाणिज्यिक कर विभाग, भोपाल

प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल

महानिरीक्षक, पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक, म.प्र. भोपाल । 3-

संचालक, सूचना एवं प्रकाशन विभाग, मध्यप्रदेश, भोपाल ।

समस्त क्षेत्रीय उप महानिरीक्षक, पंजीयन, मध्यप्रदेश ।

समस्त वरिष्ठ जिला पंजीयक/जिला पंजीयक, मध्यप्रदेश ।

समस्त वरिष्ठ उप पंजीयक / उप पंजीयक, मध्यप्रदेश । की ओर सूचनार्थ एवं आवश्क कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

> अवर सचिव मध्यप्रदेश शासन वाणिज्यिक कर विभाग